दिल्ली विकास प्राधिकरण

कार्यालय अधिशासी अभियंता

(द0पू0 खण्ड)

सं0 : एफ 5 (01)द.पू.ख–11 / दि.वि.प्रा. / 08–09 / 778 दिनाँक : 8/7/08

निबन्धन एवं शर्तें

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा डी.डी.ए. कार्यालय विकास सदन से टूटे हुए, बेकार स्टील, लकड़ी एवं अल्यूमिनियम के फर्नीचर को उठाने के लिए एक वर्ष के ठेके हेतु दरें आमंत्रित की जाती हैं जिसकी शर्तें निम्नलिखित हैं (पुन आमंत्रित) :–

1. टूटे हुए फर्नीचर (सामान) की बिक्री वजन के आधार पर होगी। अतः दरें प्रति कि० ग्रा० के आधार पर दी जाएं।

2. सामान को नजदीक के धर्मकांटे पर तोला जाएगा। सामान का वजन भरी गाड़ी और खाली गाड़ी के हिसाब से तय किया जाएगा। धर्मकांटा तय करने का अधिकार दिल्ली विकास प्राधिकरण का होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा। खाली तथा भरे हुए ट्रक को दि.वि.प्रा. के अधिकारियों की उपस्थिति में तोला जाएगा। इसके लिए स्टाफ अधिशासी अभियन्ता, द0पू0 खण्ड–11 द्वारा नामित किया जाएगा।

3. स्वीकृत दरें छह माह तक लागू रहेंगी। ठेकेदार ठेका दिए जाने की तारीख से टूटा हुआ फर्नीचर उठाने के लिए बाध्य होगा, अन्यथा टूटा हुआ फर्नीचर उसके जोखिम और लागत पर खुले बाजार में बेच दिया जाएगा।

4. **दरें दो लिफाफों में दी जाएं। एक में 10,000 / – रू0 (केवल दस हजार रू.) बयाना राशि के रूप में केन्द्रीय लेखा एकक, द0पू0 जोन के पक्ष में देय डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में होगा और उसी लिफाफे में इन शर्तों की एक कापी भी निविदादाता द्वारा अपने हस्ताक्षर (मोहर सहित) करके रखी जाएगी। दूसरे लिफाफे में केवल दरें लिखी होंगी। दरें शब्दों और अंकों में लिखी जाएं।**

5. सफल निविदादाता की बयाना राशि को प्रतिभूति राशि के रूप में रख लिया जाएगा जिसे ठेके की समाप्ति के 10 दिन के बाद लौटाया जाएगा।

6. बयाना राशि / प्रतिभूति राशि जमा कराने के संबंध में किसी भी आधार पर किसी को भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। बयाना राशि चैक के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

7. ठेका इन्हीं शर्तों के आधार पर होगा और निविदादाता द्वारा यदि अपनी निविदा के साथ कोई शर्त दी जाती है तो दि.वि.प्रा. को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह शर्तों को अस्वीकृत करते हुए निविदा प्रस्ताव में दी गई दर को स्वीकृत करते हुए ठेका दे दे। उस स्थिति में केवल दि.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित की गई ये शर्तें लागू रहेंगी और निविदादाता द्वारा लिखी गई शर्तों का कोई अर्थ नहीं होगा।

8. असफल निविदादाता की बयाना राशि लौटा दी जाएगी। जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

9. बयाना / प्रतिभूति राशि निम्निलिखित स्थितियों में जब्त कर ली जाएगी :–

   (क) यदि वह उसे बताई गई निर्धारित अवधि के अन्दर टूटे हुए फर्नीचर को उठाने के करार का निष्पादन करने में असफल रहता है।

(ख) यदि वह निविदा प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय लिए जाने से पहले अथवा प्रस्ताव को स्वीकार करने के पश्चात् अपना प्रस्ताव वापिस लेता है या वह किन्हीं निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

10. डी.डी.ए. उच्चतम या कोई अन्य दर स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और डी.डी.ए. किसी को भी कारण बताए बिना निविदादाता/ठेकेदार के प्रति किसी भी प्रकार उत्तरदायी हुए बिना सभी या किन्हीं दर प्रस्तावों को अस्वीकृत कर सकता है।

11. डी.डी.ए. यदि उचित समझे तो ठेके की अवधि को छह माह तक रखने की बजाय शर्त संख्या 3 के बावजूद कम समय के लिए भी दरें स्वीकृत कर सकता है। उस स्थिति में ठेके की अवधि छह माह से कम रहेगी।

12. दरें देने से पहले इच्छुक निविदादाता डी.डी.ए. कार्यालय, विकास सदन परिसर में पड़े हुए टूटे फर्नीचर का निरीक्षण कर सकता है। बाद में छह माह भर लगभग ऐसा ही टूटा हुआ फर्नीचर निकलेगा। निरीक्षण के लिए इच्छुक दरदाता सहायक अभियन्ता (सिविल), द0पू0 खण्ड–11, विकास सदन, नई दिल्ली से सम्पर्क करे। विकास सदन परिसर में निरीक्षण के लिए सीधे ही किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

13. सफल निविदादाता को 10/– रू0 के नॉन ज्यूडीषियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित फार्म में अपनी लागत पर ठेके की इन शर्तों के अनुपालन के लिए एक करार निष्पादित करना होगा। यह स्पष्ट रूप से समझ लें कि जब तक सफल निविदादाता द्वारा उक्त उल्लिखित करार निष्पादित नहीं कर लिया जाता है तब तक कोई भी ठेका अस्तित्व में नहीं आएगा।

14. सफल निविदादाता को कोई अधिकार नहीं होगा कि वह ठेके को आगे अन्य किसी व्यक्ति को सौंप दे या किसी अन्य रूप में दि.वि.प्रा. से टूटे हुए फर्नीचर को उठाने के अधिकार को अंतरित कर दे।

15. ठेकेदार टूटे हुए फर्नीचर को उठाने के लिए मजदूरों को इस प्रकार से विकास सदन के परिसर में लाएगा कि टूटे हुए फर्नीचर को उठाने और गाड़ी में भरने का सारा काम 2.30 बजे तक हो जाए। 3.00 बजे के बाद कोई गेट पास सामान्यतः जारी नहीं किया जाएगा।

16. सामान उठाने के लिए आने की सूचना ठेकेदार को कम से कम एक दिन पहले सहायक अभियंता (सिविल), दि.वि.प्रा. को लिखित रूप से देनी होगी। गाड़ी विकास सदन में लाने से पहले भी सहायक अभियंता (सिविल) को सूचित करना होगा।

17. ट्रक को विकास सदन में लाने से पहले ही धर्मकांटे पर तोला जाएगा ताकि सामान भरने के बाद ट्रक को तोलकर सामान का वजन तय किया जा सके। यदि किसी कारण से ठेकेदार विकास सदन परिसर से भुगतान करने के बाद सामान नहीं ले जाता है या उसके मजदूर पूरा सामान नहीं तुलवा पाते हैं या वह पूरा भुगतान नहीं करता है या गेट पास देने के बावजूद भी सामान को बाहर नहीं ले जा पाते हैं तो ट्रक के विकास सदन परिसर में रहने के बावजूद उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

18. यदि सामान उठा ले जाने की सूचना दिए जाने के तीन दिन में सामान नहीं उठाया जाता है तो प्रतिदिन 200/– रू. की दर से जुर्माना लगाया जाता सकता है जो अधिकतम 1000/– रू. होगा और यह राशि ठेकेदार द्वारा करार का उल्लंघन करने पर दि.वि.प्रा. द्वारा की जा सकने वाली अन्य कार्यवाही के अधिकार से अलग होगी।

19. ठेकेदार को सारा टूटा हुआ फर्नीचर ले जाना होगा। उसे सामान को छाँटने या छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

20. सामान विकास सदन परिसर में "जहां है जैसा है" के आधार पर बेचा जाएगा और ठेकेदार को अपने खर्चे पर पड़े हुए सामान को अपने मजदूरों से वहाँ से उठवाना होगा।

21. मजदूरों के किसी भी दुव्यर्वहार के लिए ठेकेदार व्यक्तिगत तौर पर दि.वि.प्रा. के लिए जिम्मेदार होगा।

22. इन शर्तों की व्याख्या में किसी भी विवाद की स्थिति में अधिशासी अभियंता, द0पू0 खण्ड–11 दि.वि.प्रा. का निर्णय ठेकेदार एवं अधिशासी अभियंता, द0पू0 खण्ड–11 दोनों पर लागू होगा और उन पर बाध्यकर भी होगा।

उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत निविदाएं तिथि 10-7-08 से 17-7-08 तक आमंत्रित हैं। दरें लिफाफों में बंद हों और अलग–अलग दो लिफाफों में दी जाएं जैसा कि शर्त संख्या–4 में लिखा है। निविदाएं अधिशासी अभियंता, द0पू0 खण्ड–11 कार्यालय, प्रथम–तल, विद्युत उप केन्द्र, विकास सदन में रखे निविदा बाक्स में डाली जाएं, जो उसी दिन इच्छुक निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी। निर्धारित अवधि तथा समय के पश्चात प्राप्त होने वाली दरों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

8/7/08
अधिशासी अभियंता
द0पू0 खण्ड–11, दि.वि.प्रा.

मुझे सभी शर्तें/निबन्धन स्वीकार हैं

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

Name of work:- M/O completed scheme finishing & furnishing
i/c T.C. etc. complete at Vikas Sadan.
SH: Lifting of scrap material from Vikas Sadan.

S.No.	Description of item	Unit	Rate offered
1.	Iron scrap	Per Kg.	
2.	Aluminium Scrap	Per Kg.	
3.	Wooden scrap	Per Kg.	

Signature of Bidder/Tenderer